दिनांक 24.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 28/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भीड़ जनित आपदा/भगदड़ से बचाव के दृष्टिगत वृहद आयोजनों में भीड़ प्रबंधन व पुलिस व्यवस्थापन हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ0प्र0 को अनुपालन हेतु भीड़ जनित आपदा/भगदड़ से बचाव के दृष्टिगत वृहद आयोजनों में भीड़ प्रबंधन व पुलिस व्यवस्थापन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्गत की गयी है।

उत्तर प्रदेश राज्य अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विरासत के लिये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विभिन्न धर्मों के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक । सांस्कृतिक स्थल यहां अवस्थित हैं, जहाँ नियमित रूप से वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। उक्त आयोजनों में न केवल देश के वरन विश्व के कई स्थानों से भारी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, विभिन्न मॉल, रेलवे स्टेशन, राजनैतिक पार्टियों के कार्यक्रम तथा आध्यात्मिक संतों के कार्यक्रम में भी भारी संख्या में जनसमुदाय की भागीदारी रहती है। उक्त स्थानों पर किसी भी समय भीड़ जनित आपदा व भगदड़ की पूरी सम्भावना रहती है। विगत में जनपद लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी, प्रयागराज (इलाहाबाद रेलवे स्टेशन) तथा हाथरस में इस प्रकार की घटनायें घटित हो चुकी हैं। इसके दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण (National Disaster Management Authority & NDMA) द्वारा भी भीड़ प्रबंधन के दृष्टिगत अनेक सुझाव दिये गये हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भीड़ जनित आपदा / भगदड़ से बचाव के दृष्टिगत वृहद् आयोजनों में भीड़ प्रबंधन व पुलिस व्यवस्थापन हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गयी है, जिसमें अपेक्षित कार्यवाही के बिन्दु निम्नवत हैः–

1. भीड़ जनित आपदा के दृष्टिगत निरन्तर की जाने वाली कार्यवाही

- किसी भी भीड़ जनित आपदा के दृष्टिगत जनपद / कमि०/ परिक्षेत्र / जोन स्तर पर एक एकीकृत प्रणाली (Integrated System) विकसित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्साधिकारी, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन, विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों तथा स्थानीय पुलिस के स्तर पर नियमित रूप से उक्त प्रणाली को विकसित व अपडेट किये जाने हेतु निरन्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- आपदा प्रबन्धन (Crisis Management) से सम्बन्धित समस्त विभागों को सम्मिलित करते हुए नियमित पूर्वाभ्यास (Rehearsal) ।
- स्थानीय परिस्थितियों का समावेश करते हुए उक्त योजना को नियमित रूप से प्रतिवर्ष अपडेट/अपग्रेड किया जाये।
- जनपद की पुलिस लाइन में विशेष आयोजनों में सुरक्षा, भीड़ नियन्त्रण तथा सुव्यवस्थित यातायात संचरण के दृष्टिगत आवश्यक संसाधनों व उपकरणों की नियमित देखरेख व कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाये।
- जनपद/कमिश्नरेट/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर समस्त राजकीय व निजी अस्पतालों को चिन्हित कर लिया जाये।

2. कार्यक्रम के दृष्टिगत अग्रिम तैयारी

- वरिष्ठ अधिकारियों, स्थानीय मजिस्ट्रेट व अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारी के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया जाना।
- अनुमतिकर्ता अधिकारी तथा स्थानीय पुलिस द्वारा यह पूर्णरूप से सुनिश्चित कर लिया जाये कि कार्यक्रम स्थल पर किसी प्रकार का कोई खतरा विद्यमान नहीं है तथा उस स्थल पर आगन्तुकों का सुरक्षित आवागमन सम्भव है।
- विशिष्ट अतिथियों के आगमन का मार्ग, जोन सेक्टर स्कीम प्रबन्धन तथा कन्टिनजेन्सी प्लान के सम्बन्ध में कार्ययोजना ।
- कार्यक्रम से सम्बन्धित Threat Perception के अनुसार अन्य सम्भावित खतरों यथा–अग्निजनित दुर्घटना, विद्युत जनित दुर्घटना, मार्ग दुर्घटना, श्वास अवरोध आदि के सम्बन्ध में समुचित आकंलन करते हुए आपात कालीन योजना के अनुसार यथोचित व्यवस्थापन।
- समस्त सम्बन्धित विभागों यथा– नोडल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सुरक्षा एजेन्सी, नगर निगम, खाद्य सुरक्षा विभाग, एयरपोर्ट सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त एजेन्सी तथा प्रोटोकॉल/जिला प्रशासन से समन्वय ।
- कार्यक्रम धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, खेल आदि किस प्रकार का है, इसकी विस्तृत जानकारी कर आगन्तुकों की संख्या का पूर्वानुमान।
- प्रभावी सुरक्षा व सुव्यवस्थित यातायात हेतु आवश्यक पुलिस/पीएसी/सीएपीएफ बल, राजपत्रित अधिकारी तथा संसाधनों हेतु औचित्यपूर्ण माँग पत्र तैयार किया जाना।
- बैरिकेटिंग का सम्यक परीक्षण करते हुए सुरक्षित, मजबूत व सुव्यवस्थित बैरिकेटिंग।

3. आयोजन के दौरान प्रबन्धन व व्यवस्थापन

- राजपत्रित अधिकारी व स्थानीय मजिस्ट्रेट को प्रभारी नियुक्त किया जाना।
- ड्यूटी पर लगाये गये समस्त पुलिस/पीएसी/सीएपीएफ/अग्निशमन अधिकारियों की समुचित ब्रीफिंग व डीब्रीफिंग।
- पब्लिक एड्रेस सिस्टम यथा– लाउड हेलर, आदि का प्रयोग करते हुए ड्यूटी पर लगाये गये समस्त बल को सक्रिय किया जाना।
- अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था करना।
- अफवाह फैलाने वाले तथा असामाजिक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखा जाना।
- आवश्यकतानुसार पुलिस बल के साथ–साथ विभिन्न अनुपूरक बलों यथा– सिविल डिफेन्स, एसपीओ, होमगार्ड, ग्राम चौकीदार, पुलिस मित्र, एस–10 सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त राजकीय कर्मियों व सी–प्लान ऐप के सदस्यों आदि का भी समुचित प्रयोग।
- आयोजकों व स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम स्थल पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था, पीने का पानी, पंखे, एम्बुलेन्स तथा मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप संसाधनों का व्यवस्थापन ।
- भीड़ नियंत्रण योजना (Crowd Control Plan) के अनुरूप व्यक्तियों व वाहनों का आवागमन तथा पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।
- श्रेणीबद्ध सुरक्षा प्राप्त तथा विशिष्ट अतिथियों के आवागमन का मार्ग आम जनमानस के मार्ग से पृथक रखा जाना अथवा उनके आवागमन का समय अलग–अलग रखा जाना ।
- जनपदीय अभिसूचना तन्त्र, सोशल मीडिया सेल तथा कण्ट्रोल रूम को सतर्क करते हुए सोशल मीडिया पर विशेष रूप से निगरानी रखा जाना। इस संबंध में किसी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना।
- कार्यक्रम स्थल पर लगाये गये सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग तथा आपरेशनल कन्ट्रोल एवं कमाण्ड सेन्टर को यथा आकस्मिक व्यवस्थाओं सहित समय से सक्रिय किया जाना।

4. आयोजन के दौरान किसी भी भगदड या आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही

- भगदड़ के पीड़ितों को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने हेतु चिकित्सा विभाग से समन्वय स्थापित कर आसपास के अस्पतालों में पहुंचने हेतु अधिक से अधिक संख्या में एम्बुलेंस का प्रबंध करते हुए ग्रीन कॉरिडोर तैयार कराकर समस्त चिकित्सीय व्यवस्थापन कराया जाना।

- मृतकों को घटनास्थल व अस्पताल से उनके घर पहुँचाने अथवा अन्तिम संस्कार कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर यथोचित कार्यवाही।
- आवश्यकता का आंकलन करते हुए स्थानीय फील्ड यूनिट, अग्निशमन बल, बीडीएस टीम, पीएसी की फ्लड प्लाटून व एनडीआरएफ। एसडीआरएफ को भी तत्काल सूचित करते हुए घटनास्थल पर बचाव व अन्य कार्यों में संयोजित कराया जाना।
- मीडिया व सोशल मीडिया की समुचित ब्रीफिंग की जाये, जिससे कोई भी गलत तथ्य अथवा अफवाह प्रसारित न हो सके।
- घटना के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकरण तथा घटना के लिए जिम्मेदार अभियुक्तों की तत्परतापूर्वक गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये । घटना से सम्बन्धित समस्त साक्ष्यों को संरक्षित करते हुए ठोस एवं पुष्टिकारक साक्ष्यों के आधार पर अभियोग से सम्बन्धित विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

उक्त SOP के साथ–साथ स्थानीय परिस्थितियों व आवश्यकता का समुचित आंकलन, समय– समय पर केन्द्र सरकार, विभिन्न एजेन्सियों, समितियों, जांच आयोगों तथा शासन द्वारा भी अनेक एडवाइजरी व दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है।

जनपद बाराबंकी/थाना देवा

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.07.2024 को थाना देवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित कुमार निवासी ग्राम सिवान कला थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया।

जनपद बागपत/थाना खेकड़ा

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 15 कुन्तल तार**
- **तार काटने के उपकरण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 बुलेरो वाहन, 02 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 24.07.2024 को थाना खेकड़ा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–सौरव 2–मनोज घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–वसीम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 15 कुन्तल तार, तार काटने के उपकरण, घटना में प्रयुक्त 01 बुलेरो वाहन, 02 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सौरव के विरूद्ध जनपद बागपत के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त

मनोज के विरूद्ध जनपद बागपत के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त वसीम के विरूद्ध जनपद बागपत के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सौरव निवासी ग्राम अहैडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2—मनोज निवासी मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत।

3—वसीम निवासी इन्द्रा नेहरू कैम्प, पुरानी सीमापुरी, दिल्ली।

बरामदगी

1—चोरी के 15 कुन्तल तार।

2—तार काटने के उपकरण।

3—घटना में प्रयुक्त 01 बुलेरो वाहन, 02 मोटर साइकिल।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद प्रतापगढ़/थाना पट्टी

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.07.2024 की रात्रि थाना पट्टी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कलनियन नहर पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—वसीम 2—मकबूल अली घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल,02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वसीम निवासी ग्राम वेलसण्डी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

2—मकबूल अली निवासी ग्राम वेलसण्डी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना सदर बाजार

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल, 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद**

दिनांक 24.07.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नवादा रोड ग्राम फतेहपुरजट्ट के पास से 07 अभियुक्तों 1—राहुल 2—सागर उर्फ सावन 3—रोहित कुमार 4—दीपक पुत्र गोपीचन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 5—आसू 6—मोहित 7—दीपक पुत्र भागमल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल, 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.07.2024 को थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा मोटर साइकिल चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी ग्राम अहमदपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

2–सागर उर्फ सावन निवासी ग्राम पिलखनी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

3–रोहित कुमार निवासी ग्राम बागाखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

4–दीपक पुत्र गोपीचन्द्र निवासी ग्राम पहासू थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

5–आसू निवासी ग्राम मोहनपुरगाडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

6–मोहित निवासी ग्राम भांकला थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

7–दीपक पुत्र भागमल निवासी ग्राम भांकला थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल, 02 फर्जी नम्बर प्लेट।

जनपद सम्भल/थाना असमोली

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **चोरी के घरेलू उपयोग के सामान आदि बरामद**

दिनांक 23.07.2024 को थाना असमोली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम दुगावर के पास से 04 अभियुक्तों 1–पवन 2–सतेन्द्र उर्फ दुम्मा 3–भूरा 4–संजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, चोरी के घरेलू उपयोग के सामान आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.07.2024 को थाना असमोली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा मोटर साइकिल चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना असमोली पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना असमोली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पवन निवासी ग्राम दुगावर थाना असमोली जनपद सम्भल।

2–सतेन्द्र उर्फ दुम्मा निवासी ग्राम दुगावर थाना असमोली जनपद सम्भल।

3–भूरा निवासी ग्राम दुगावर थाना असमोली जनपद सम्भल।

4–संजू निवासी ग्राम हफीजपुर थाना नौंगवा सादात जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2–चोरी के घरेलू उपयोग के सामान आदि।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना हँसवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना हँसवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/148/323/506/324 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मो0अली उर्फ गुड्डू 2–मो0अख्तर 3–ताज मोहम्मद 4–मो0अली को आजीवन कारावास व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना जलेसर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 53 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जलेसर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/323 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रवीण को आजीवन कारावास व 53 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना अहमदगढ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अहमदगढ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376ए,बी/511 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गगन को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–लूट की घटना में जनपद मऊ से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी रमेश यादव लुधियाना (पंजाब) से गिरफ्तार।

दिनांक 24–07–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना मधुबन, जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 1242/16 धारा 392/411 भादवि में वांछित रूपये 50,000/– के पुरस्कार घोषित कुख्यात लुटेरा रमेश यादव को लुधियाना (पंजाब) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

रमेश यादव पुत्र भरत यादव निवासी शाहपुर जिगनिया थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

जी0डी0एस0 कॉन्वेण्ट स्कूल मेहरवान थाना मेहरवान जनपद लुधियाना(पंजाब)। दिनांक 24–07–2024

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि दिनांक 19–12–2016 को मेसर्स किसान सेवा केन्द्र (पेट्रोल पम्प) काठतरॉव थाना मधुबन जनपद मऊ का कर्मी प्रमोद कुमार पेट्रोल पम्प का पैसा जमा करने के लिये बैंक जा रहा था। इसी दौरान थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत बॉस तराव प्राइमरी स्कूल के पास बदमाशों द्वारा पिस्टल की दिखाकर सनसनीखेज तरीके से दिन–दहाडे लूट कर लिया गया था। इस संबंध में थाना मधुबन पर मु0अ0सं0 1242/16 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत कराया गया था। इस घटना में स्थानीय पुलिस की विवेचना में कुख्यात लुटेरा रमेश यादव एवं उसके साथी विनोद चौबे का नाम प्रकाष में आया था। अभियुक्त विनोद चौबे की गिरफ्तारी हो जाने के उपरान्त से ही रमेश यादव लगातार फरार चल रहा था, जिसके गिरफ्तारी हेतु रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित है।

एस0टी0एफ0 वाराणसी द्वारा धरातलीय एवं इलेक्ट्रानिक अभिसूचना संकलन से वांछित/ पुरस्कार घोषित अपराधी रमेश यादव के लुधियाना (पंजाब) में लुकछिप कर रहने की बात प्रकाश में आयी। इस सूचना पर उ0नि0 शहजादा खॉ एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में टीम गठित कर लुधियाना (पंजाब) भेजा गया। एस0टी0एफ0 टीम द्वारा लुधियाना में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी, कि विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त रमेश यादव जी0डी0एस0 कॉन्वेण्ट स्कूल मेहरवान के पास मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा मौके पर पहुॅच कर रमेश यादव को गिरफ्तार कर मेहरवान थाना लुधियाना में दाखिल किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि रमेश यादव उपरोक्त मूल रूप से जनपद गोरखपुर का रहने वाला है। यह एक शातिर एवं कुख्यात लुटेरा है। **इसने अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद गोरखपुर, मऊ, देवरिया एवं आजमगढ़ में ताबड़तोड़ लूट की कई घटनाओं सहित मादक पदार्थों आदि की तस्करी की घटनाओं को अंजाम दिया गया।** दिनांक 19—12—2016 को मेसर्स किसान सेवा केन्द्र (पेट्रोल पम्प) काठतरॉव थाना मधुबन जनपद मऊ के कर्मी प्रमोद कुमार द्वारा पेट्रोल पम्प का पैसा बैंक में जमा करने के लिये जाते समय अभियुक्त रमेष यादव अपने साथी विनोद कुमार चौबे निवासी ठेकवारी थाना नगरा जनपद बलिया के साथ मिलकर थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत बॉस तराव प्राइमरी स्कूल के पास पिस्टल दिखाकर प्रमोद कुमार से लूट किया था। विनोद चौबे के गिरफ्तार हो जाने के बाद यह भागकर पंजाब चला गया और वहॉ पर लुक छिपकर रह रहा था।

अभियुक्त रमेश यादव का अपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः—

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	136/12	392 आई0पी0सी0	तरवा	आजमगढ़
02	141/12	8/21/22एनडीपीएस एक्ट	सिधारी	आजमगढ़
03	250/16	392/411 आई0पी0सी0	गंभीरपुर	आजमगढ़
04	385/22	174ए आई0पी0सी0	गंभीरपुर	आजमगढ़

05	1242/16	392/411 आई0पी0सी0	मधुबन	मऊ
06	374/15	395/506 आई0पी0सी0	बेलघाट	गोरखपुर
07	28/08	216आई0पी0सी0	बेलघाट	गोरखपुर
08	45/15	323/504/506आई0पी0सी0	बेलघाट	गोरखपुर
09	195/16	386/504/506आई0पी0सी0	उरूँवा	गोरखपुर
10	225/18	374ए आई0पी0सी0	मधुबन	मऊ
11	660/15	41/411/420आई0पी0सी0 व 3/25 आर्म्स एक्ट	गौरीबाजार	देवरिया

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को थाना मेहरवान लुधियान में दाखिल कर मा0 न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

——————